अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

हरिराम बनाम श्रीमती मगनी देवी वगैरह

10.7.19

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से संधारण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जाने वास्ते पेश। अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 02.07.2019 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता श्री रामसुख चौधरी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपील अपीलांट द्वारा आवेदनगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03,04 के विरूद्ध प्रस्तुत करवायी है। अपील मीमो में अंकित रेस्पोडेन्ट संख्या 03,04 का उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है जो उनके नाम से मान्नीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के तथा तामील कुनिन्दा की तामील रिपोर्ट से स्वंय सिद्व है उपरोक्त उनवानी अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है। उपरोक्त अपील में अंकित उभय पक्षकार एक ही गॉव के निवासीगण होकर एक ही समुदाय जाति जाट व गौत्र के है जिससे अपीलांटस को उक्त मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पेश की गई है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से संधारण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जाने वास्ते को स्वीकार किया जाकर अपील को खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता (रेस्पोडेन्टस) ने अपने पक्ष में ए.आई.आर.1989 राजस्थान पेज 43, आर.बी.जे. 2007 पेज 95, आर.एल.डब्ल्यू. 2007(1) पेज 100 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 के स्वर्गवास की सूचना नहीं होने के कारण अपील में उनको पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत की है। नोटिस पर अंकित टिप्पणी पर सूचना प्राप्त होते हुए हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 की कायममुकाम कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04,10,11 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर दिया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 10,11 सपठित धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी जाने के पश्चात ही अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 26.08.2015 को प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4,10,11 जा.दी. में तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने से संधारण योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जाने वास्ते में मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की है परन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध एक अन्य पत्रावली संख्या 2015/00092 बउनवानी श्योजीराम बनाम श्रीमती मगनी देवी में रेस्पोडेन्ट संख्या 03 श्रीमती केसर व रेस्पोडेन्ट सख्या 04 हरचन्द के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए अपील दिनांक 30.09.2015 को प्रस्तुत की है। जिससे प्रतीत है कि उक्त अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 की मृत्यु के पश्चात दायर की गई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायिक दृष्टांत पूर्णतया चस्पा होता है।

अतः अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।